न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला, पाली)

लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 339A/2015

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम जाति- माली निवासी- चावण्डिया कला तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)		1. भंवरलाल पुत्र गोमा 2. पुखराज पुत्र रावतराम 3. मदनलाल पुत्र रावतराम 4. रामेश्वरलाल पुत्र रावतराम 5. सुगनचन्द पुत्र रावतराम 6. सत्यनारायण पुत्र रावतराम जातियान-माली, निवासीगण- चावण्डियां कला तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू: 09/07/2015

उपस्थित: 1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. प्रतिवादी उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनाँक:- 09/07/2015

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र - चावण्डिया कला पर आयोजित लोक अदालत / कैम्प कोर्ट'' में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा-चावण्डिया कला, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 517 रकबा 18-07 बीघा किस्म चा०दो०, खसरा नम्बर 497 रकबा 142-00 बीघा किस्म चा०दो०, खसरा नम्बर 498 रकबा 28-15 बीघा किस्म चा०दो० एवं खसरा नम्बर 366/1 रकबा 0-15 बीघा किस्म चा०दो० की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी का नाम नेनाराम पुत्र रावतराम दर्ज हैं। अज्ञानतावश दस्तावेजात में नेनाराम पुत्र रावतराम दर्ज करवा दिया था जो वादी का बोलता नाम था। जबकि वादी का वास्तविक नाम प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम सही है। वाद पत्र के ताईद में दस्तावेजात प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम आधार कार्ड संख्या [illegible]862052043, ड्राईविंग लाईसेन्स डी.एल नं० RJ/DLC/11/101629 दिनांक 22/03/2011 एवं राशन कार्ड संख्या 5 दिनांक 05/07/2001 की छाया प्रतियाँ भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम नेनाराम पुत्र रावतराम के स्थान पर प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम दर्ज किये जाने की ईस्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 09/07/2015 को ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तहरीरी राजीनामा भी इसी आशय का पेश कर विवादित आराजी की भूमि में वादी का नाम वास्तविक रूप से समझाईश से आपस में राजी बाजी से जाने तथा नेनाराम पुत्र रावतराम दर्ज गलत नाम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी है। जिसका बाद पहिचान पूर्वक से राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा-ए-आम लोक अदालत शिविर-चावण्डिया कला में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत तस्दीकशुदा राजीनामा एवं उक्त दस्तावेजात अनुसार नेनाराम पुत्र रावतराम गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम होना बखूबी साबित है। जिससे वादी का वाद

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

माफिक राजीनामा एवं साक्ष्य सबूत के उक्त दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम नेनाराम पुत्र रावतराम जाति माली निवासी-चावण्डिया कला के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-चावण्डिया कला, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 517 रकबा 18-07 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 497 रकबा 142-00 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 498 रकबा 28-15 बीघा किस्म चा0दो0 एवं खसरा नम्बर 366/1 रकबा 0-15 बीघा किस्म बा0दो0 भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम नेनाराम पुत्र रावतराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 09/07/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र चावण्डिया कला में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

1. प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम
जाति-हरिजन,
निवासी- चावण्डिया कला
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

1. भंवरलाल पुत्र गोमा
2. पुखराज पुत्र रावतराम
3. मदनलाल पुत्र रावतराम
4. रमेश्वरलाल पुत्र रावतराम
5. सुगनचन्द पुत्र रावतराम
6. सत्यनारायण पुत्र रावतराम
जातियान-माली,
निवासीगण- चावण्डिया कला
तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 339A/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा तस्दीक सुदा एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-चावण्डिया कला, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 517 रकबा 18-07 बीघा किस्म बा0दो0, खसरा नम्बर 497 रकबा 142-00 बीघा किस्म चा0दो0, खसरा नम्बर 498 रकबा 28-15 बीघा किस्म चा0दो0 एवं खसरा नम्बर 366/1 रकबा 0-15 बीघा किस्म बा0दो0 भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम नेनाराम पुत्र रावतराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम प्रकाशचन्द पुत्र रावतराम दुरुस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र चावण्डिया कला में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मिजान:-			मिजान:-		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner